

**कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर**  
**पत्रांक: 357 / मी0क्षे0 / 33 दिनांक, मीरजापुर, फरवरी 20 2019**

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी  
 उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

**विषय:** जनपद-सोनभद्र में हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड (रेणुसागर पावर डिवीजन), रेणुसागर को 132 केवी0 विद्युत पारेषण लाईन हेतु हस्तांतरित 38.2591 हेक्टेयर आरक्षित वन भूमि को 25 वर्षों (दिनांक- 09.02.2016 से 08.02.2041 तक) के लिये नवीनीकरण के संबंध में।

**संदर्भ:** आपका पत्र संख्या-1560 / 11- सी-एफ0पी0 / यू0पी0 / ट्रान्स / 18048 / 2016 लखनऊ दिनांक- 04.02.2020

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा विषयक प्रकरण में भारत सरकार की गाईड लाईन दिनांक 29.10.2018 के अनुसार उल्लंघन के फलस्वरूप प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा जमा करायी जानी वाली दण्डात्मक एन0पी0वी0 की गणना अद्यतन समयावधि तक ब्याज समाहित करते हुए संशोधित दण्डात्मक एन0पी0वी0 की गणना संस्तुति सहित तीन प्रतियों में उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं उक्त के आलोक में प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट ने अपने कार्यालय के पत्रांक-2920 / रेनुकूट / 15-28 दिनांक 17.02.2020 (छायाप्रति संलग्न है) द्वारा संस्तुति सहित निम्नप्रकार प्रेषित किया है।

| क्र० सं० | मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ का पत्र 1560 / 11- सी- एफ0पी0 / यू0पी0 / ट्रान्स / 18048 / 2016 लखनऊ दिनांक- 04.02.2020 द्वारा लगायी गयी आपत्ति का विवरण                                                                                                                        | प्रभाग की अनुपालन आख्या                                                                                                                                                                                |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | भारत सरकार की आपत्ति संख्या-5 के निराकरण के क्रम में भारत सरकार की गाइडलाइन दिनांक- 29.10.2018 के अनुसार उल्लंघन के फलस्वरूप प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा जमा करायी जाने वाली दण्डात्मक एन0पी0वी0 की गणना में ब्याज केवल एक वर्ष का लिया गया है, जो कि भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुरूप नहीं है। | इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार उल्लंघन के फलस्वरूप प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा जमा करायी जाने वाली दण्डात्मक एन0पी0वी0 की संशोधित गणना प्रमाण-पत्र संलग्न है। |

अतः प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट द्वारा प्ररनगत बिन्दु की प्रेषित आख्या एतदसह संलग्नकर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार 3 प्रतियों में।

भवदीय

(रमेश चन्द्र झा)

मुख्य वन संरक्षक

मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

संख्या-357 अ / समदिनांकित।

प्रतिलिपि: प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट को उनके संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

७९

(रमेश चन्द्र झा)

मुख्य वन संरक्षक

मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

19.02



कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट  
सोनभद्र — (उ०प्र०)



☎ 05446-252020

PIN Code: 231217

Email: dforkt@yahoo.co.in

पत्रांक— 2920 / रेनुकूट / 15-28 दिनांक, रेनुकूट, फरवरी, 17, 2020  
सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,  
मीरजापुर क्षेत्र  
मीरजापुर, उ०प्र०।

विषय: जनपद—सोनभद्र में हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड (रेणुसागर पावर डिवीजन), रेणुसागर को 132 के०वी० विद्युत पारेषण लाईन हेतु हस्तांतरित 38,2591 हेक्टेयर आरक्षित वन भूमि को 25 वर्षों (दिनांक— 09.02.2016 से 08.02.2041 तक) के लिये नवीनीकरण के संबंध में।

संदर्भ: आपका पत्र संख्या— सा० 3887/मी०क्ष०/33 दिनांक— 14.02.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयगत प्रकरण में संदर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें। उक्त पत्र द्वारा माँगे गये वांछित संशोधित एन०पी०वी० की गणना रिपोर्ट की चार प्रतियाँ संस्तुति सहित अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक:—उपरोक्तानुसार चार प्रतियों में।

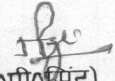
समाप्त  
18/2/20

भवदीय,  
(एम०पी०सिंह)  
प्रभागीय वनाधिकारी,  
रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट

जनपद-सोनभद्र में हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड (रेणुसागर पावर डिवीजन), रेणुसागर को 132 केवी0 विद्युत पारेषण लाईन हेतु हस्तांतरित 38.2591 हेक्टेयर आरक्षित वन भूमि के लीज समाप्ति की तिथि दिनांक- 08.02.2016 से आगामी 25 वर्षों (दिनांक- 09.02.2016 से 08.02.2041 तक) के लिये नवीनीकरण प्रस्ताव प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब के कारण भारत सरकार की गाइडलाइन दिनांक- 29.01.2018 के अनुसार उल्लंघन के फलस्वरूप प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा जमा करायी जाने वाली निर्धारित दण्डात्मक एन0पी0वी0 की गणना ।

| क्र0 सं0 | प्रकरण का विवरण                                                                                      | प्रस्ताव में प्रभावित वन भूमि | इको क्लास एवं वानस्पतिक धनत्व के अनुसार एन0पी0 वी0की निर्धारित धनराशि प्रति हे0 रु0 लाख में | एन0पी0वी0की निर्धारित कुल धनराशि रु0 में | एन0पी0वी0 की निर्धारित धनराशि का पॉचगुणा धनराशि | एन0पी0वी0की निर्धारित कुल धनराशि पर 12 % साधारण ब्याज की दर से अब तक का साधारण ब्याज | कुल जमा की जाने वाली धनराशि                         |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1        | रेणुसागर पावर प्लांट से हिण्डालको प्लांट रेनुकूट तक पूर्व से निर्मित 132 के0 वी0 विद्युत पारेषण लाईन | 38.2591 हे0                   | 8.87 लाख प्रति हे0                                                                          | 33935821.70 या 3,39,35,822               | 16,96,79,110                                    | $16,96,79,110 \times 12 \times 4$<br>100<br>$= 8,14,45,972.80$ या<br>8,14,45,973.00  | $16,96,79,110 +$<br>$8,14,45,973 =$<br>25,11,25,083 |

(रु0 पच्चीस करोड़ ग्यारह लाख पच्चीस हजार तेरासी मात्र)

  
(एम0पी0सिंह)  
प्रभागीय वनाधिकारी,  
रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट